39

श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

वस्त्र मंत्रालय

वस्त्र मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2022-23)' पर समिति के इकतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई

उनचालीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसंबर, *2022/* अग्रहायण, 1944 *(*शक)

उनचालीसवां प्रतिवेदन

श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति
(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

वस्त्र मंत्रालय

वस्त्र मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2022-23)' पर समिति के इकतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई

20.12.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

20.12.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसंबर, *2022/* अग्रहायण, 1944 *(*शक)

विषय-सूची

समिति की संरचना

प्राक्कथन

अध्याय एक **प्रतिवेदन .....**

अध्याय दो **टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है .....**

अध्याय तीन **टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती .....**

अध्याय चार **टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है .....**

अध्याय पांच **टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के है .....**

परिशिष्ट

एक.* **समिति की 19.12.2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश।**

दो. **इकतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण।**

***इस साइकलोस्टाइल प्रति के साथ संलग्न नहीं।**

श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

श्री भर्तृहरि महताब - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
3. कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल
4. श्री पल्लब लोचन दास
5. श्री फिरोज वरुण गांधी
6. श्री सतीश कुमार गौतम
7. श्री बी.एन. बचेगौडा
8. डॉ. उमेश जी. जाधव
9. श्री धर्मेन्द्र कश्यप
10. एडवोकेट डीन कुरियाकोस
11. श्री पकौड़ी लाल कोल
12. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक
13. श्री दयाकर पसुनूरी
14. श्री खलीलुर रहमान
15. श्री डी. रविकुमार
16. श्री नव कुमार सरनीया
17. श्री भोला सिंह
18. श्री गणेश सिंह
19. श्री नायब सिंह सैनी
20. श्री के. सुब्बारायण
21. श्री गिरिधारी यादव

राज्य सभा

22. श्री नरेश बंसल
23. श्री नीरज डांगी
24. श्री आर. धरमार
25. प्रो. मनोज कुमार झा
26. श्री इलामारम करीम
27. सुश्री दोला सेन
28. श्री एम. शनमुगम
29. श्री शिबू सोरेन
30. श्री विजय पाल सिंह तोमर
31. श्री बिनोय विस्वम

सचिवालय

1. श्री टी. जी. चन्द्रशेखर	-	अपर सचिव
2. श्री डी. आर. मोहंती	-	निदेशक
3. श्री संजय सेठी	-	अपर निदेशक
4. सुश्री शिल्पा कांत	-	समिति अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति (2021-22) का सभापति समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उसकी ओर से वस्त्र मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2022-23)' पर समिति के इकतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी यह उनचालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. इकतीसवां प्रतिवदेन 15 मार्च, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और राज्य सभा के पटल पर रखा गया। वस्त्र मंत्रालय ने इकतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर अपनी की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले उत्तर 29 जुलाई, 2022 को प्रस्तुत किए। समिति ने 19 दिसंबर, 2022 को अपनी बैठक में प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और स्वीकार किया।

3. इकतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण अनुबंध-दो पर दिया गया है।

4. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
19 दिसंबर, 2022
28 अग्रहायण, 1944 (शक)

भर्तृहरि महताब
सभापति
श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति

अध्याय - एक

प्रतिवेदन

यह प्रतिवेदन वस्त्र मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2022-23)' पर समिति के इकतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है।

2. इकतीसवां प्रतिवेदन 15 मार्च, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया/राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। इसमें 30 टिप्पणियां/सिफारिशें अंतर्विष्ट थीं। सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार के उत्तरों की जांच की गई है और इन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:-

(i)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:- सिफारिश पैरा सं. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28	अध्याय - दो कुल : 24 प्रतिशत : 80.00
(ii)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती है:- सिफारिश पैरा सं. 30	अध्याय - तीन कुल : 01 प्रतिशत : 3.33
(iii)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है:- सिफारिश पैरा सं. 2, 4 और 29	अध्याय - चार कुल : 03 प्रतिशत : 10
(iv)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैं:- सिफारिश पैरा सं. 10 और 14	अध्याय - पांच कुल : 02 प्रतिशत : 6.67

3 समिति चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय- एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की गई कार्रवाई टिप्पण और अध्याय- पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम की गई कार्रवाई उत्तर, जिसके लिए सरकार से अंतरिम उत्तर प्राप्त हो गए हैं, उसे यथाशीघ्र प्रस्तुत किए जाए।

4 अब समिति अपनी कुछ पूर्ववर्ती टिप्पणियों/सिफारिशों पर चर्चा करेगी जिन्हें दोहराए जाना अपेक्षित है या टिप्पणियां किया जाना जरूरी है।

एक. समग्र वित्तीय निष्पादन

(सिफारिश पैरा सं. 2)

5. अपने इकतीसवें प्रतिवेदन में, समिति ने नोट किया था कि ब.अ. 2021-22 **स्तर पर** 3631.64 **करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई थी जिसे काफी बढ़ाकर सं.अ**. **स्तर पर** 11449.32 **करोड़ रुपए कर दिया गया था जिसमें लगभग सभी योजनाओं में निधियों का कम उपयोग दर्शाया गया। 2021-22 के दौरान आवंटित निधियों के कम उपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए, समिति ने मंत्रालय से निगरानी तंत्र को मजबूत करने और शुरू किए गए उपायों को सुदृढ़ करने के लिए कहा था ताकि कार्यान्वयन अभिकरणों से समय पर उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सके और 31 मार्च, 2022 तक शेष आवंटित निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।**

6. **वस्त्र मंत्रालय ने समिति को प्रस्तुत अपने की गई कार्रवाई टिप्पण में निम्नवत बताया है**:-

> "**वित्त वर्ष** 2021-22 **के दौरान किया गया वास्तविक व्यय** 11170.90 **करोड़ रुपये है**, **जो** 11449.32 **करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान का** 97.57 **प्रतिशत है। विभिन्न योजनाओं के तहत की गई बचत का उपयोग सचिव** (**वस्त्र**) **और वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के साथ अन्य योजना द्वारा किया गया था। एसओएम की बैठक के दौरान सभी प्रभागीय प्रमुखों को लंबित यूसी की निगरानी करने और उनकी समय पर प्रस्तुति सुनिश्चित करने की भी सलाह दी गई।**"

7. समिति नोट करती है कि मंत्रालय सचिव (वस्त्र) और वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से विभिन्न योजनाओं के तहत की गई बचत का उपयोग अन्य योजनाओं के लिए करके 2021-22 के संशोधित अनुमान के 97.57 प्रतिशत का उपयोग करने में सक्षम था। समिति महसूस करती है कि यदि निधियों का उपयोग इच्छित और विनिर्दिष्ट योजना/परियोजना के लिए नहीं किया जाता है तो निधियों के योजना-वार आबंटन का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। इसलिए विवेकपूर्ण यह होगा कि केवल असाधारण परिस्थितियों में ही निधियों के पुन: विनियोजन का सहारा लिया जाए। समिति इस बात पर भी बल देती है कि निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किया जाए ताकि कार्यान्वयन अभिकरणों से समय पर उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त किए जा सकें जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक योजना के लिए निर्धारित निधियों का इष्टतम उपयोग हो सके। समिति यह भी इच्छा व्यक्त करती है कि उन योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए जिन्हें 2021-22 के दौरान निधियों के अन्यत्र उपयोग के कारण नुकसान हुआ था और जिन्हें 2022-23 के दौरान भी कार्यान्वयित किया जा रहा है।

<u>(सिफारिश पैरा सं. 4)</u>

8. अपने पिछले प्रतिवेदन में, समिति ने नोट किया था कि मंत्रालय के प्रस्तावित बजट को बजट अनुमान (ब.अ.) स्तर पर कम कर दिया गया था और संशोधित अनुमान (सं.अ.) स्तर पर आवंटित बजट अनुमान को फिर से कम कर दिया गया था। यहां तक कि मंत्रालय द्वारा कम किए गए सं.अ. का भी पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया था, जो कार्यान्वयन अभिकरणों की ओर से अपर्याप्त योजना और निष्क्रियता को दर्शाता है। इसलिए समिति ने मंत्रालय से प्रणालीगत सुधार लाने का आग्रह किया था ताकि निर्धारित वार्षिक निधियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

9. **वस्त्र मंत्रालय ने समिति को प्रस्तुत अपने की गई कार्रवाई टिप्पण में निम्नवत बताया है:-**

> **"वस्त्र मंत्रालय की योजनाओं के तहत बजट प्रावधानों को वस्त्र मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद रखा जाता है। तदनुसार सभी प्रभागों को योजनाओं के तहत निधियों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर बजट अनुमान और संशोधित अनुमान तैयार करने की सलाह दी**

गई थी। मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के दौरान 97.57% निधि का उपयोग किया है।"

10. मंत्रालय का दावा कि 2021-22 के संशोधित अनुमान आवंटन का 97.57 प्रतिशत उपयोग किया गया है, और वह भी कुछ योजनाओं के तहत की गई बचत का उपयोग कुछ अन्य योजनाओं के लिए करने के पश्चात ऐसा किया गया है, विश्वास जागृत नहीं करता है। समिति ने अपने पिछले प्रतिवेदन में इस बात पर जोर दिया था कि मंत्रालय के बजटीय अनुमानों और किए गए वास्तविक आबंटनों के बीच असंगति थी, जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर और कम कर दिया गया था। इसलिए, समिति पुन: मंत्रालय से इस बात पर बल देती है कि वह अपनी बजटीय आवश्यकताओं का सर्वोत्तम संभव तरीके से वास्तविक आकलन करे ताकि दर्शाया जा सके कि न केवल विवेकपूर्ण कार्य किया गया बल्कि प्रत्येक योजना/परियोजना के लिए निर्धारित निधियों का इष्टतम उपयोग भी किया जा सके।

दो. <u>राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम</u>

<u>(सिफारिश पैरा सं. 11)</u>

11. अपने पिछले प्रतिवेदन में, समिति ने पाया था कि पूरे भारत में 60 हस्तशिल्प सेवा केंद्रों के माध्यम से पंजीकृत 28.4 लाख शिल्पकारों में से 24.78 लाख शिल्पकारों को उनके आईडी कार्ड (पहचान कार्ड) मिल गए थे और इस तथ्य के बावजूद कि सभी राज्यों में इस बात पर आम सहमति थी कि मंत्रालय द्वारा जारी आईडी कार्ड का अनुपालन किया जाएगा, कुछ राज्य अपने स्वयं के कार्ड के उपयोग की अनुमति दे रहे थे। यह देखते हुए कि एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरे देश में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एकल कार्ड का उपयोग करने से सुव्यवस्थित एवं समान दृष्टिकोण तथा प्रभावी निगरानी सुगम हो सकेगी, समिति ने इच्छा व्यक्त की थी कि मंत्रालय संबंधित राज्यों के साथ समन्वय करे और उन्हें एकल केंद्रीय कार्ड को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि शिल्पकार बिना किसी कठिनाई के लक्षित लाभ ले सकें। समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की थी कि मंत्रालय पूरे देश में

हस्तशिल्प सेवा केंद्रों की संख्या बढ़ाकर नामांकन और पहचान कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाए ताकि सभी यथार्थ शिल्पकारों को एकल प्लेटफॉर्म/डाटा-बेस के अंतर्गत लाया जाए।

12. **वस्त्र मंत्रालय ने समिति को प्रस्तुत अपने की गई कार्रवाई टिप्पण में निम्नवत बताया है**:-

"अनुशंसा अनुपालन के लिए नोट की गई। विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय संरचित और समान दृष्टिकोण और प्रभावी निगरानी के लिए एक सेंट्रल कार्ड के उपयोग को अपनाने के लिए राज्य सरकार के साथ समन्वय करेगा।

इसके अलावा, वर्ष 2019 में डीसी (हस्तशिल्प) के कार्यालय ने योजनाओं के उचित और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में क्षेत्रीय कार्यालयों का पुनर्गठन किया। इसके अलावा, नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने पर कारीगरों की आवश्यकता और प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार विचार किया जाएगा।"

13. समिति एक केंद्रीय कार्ड के उपयोग को अपनाने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने के मंत्रालय के आश्वासन को नोट करती है। सभी राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों में कारीगरों द्वारा एक प्लेटफ़ॉर्म पर एक पहचान कार्ड के उपयोग के अत्यधिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि वह राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों के समन्वय से तेजी से काम पूरा करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे ताकि कारीगर इच्छित लाभों का निर्बाध रूप से लाभ उठा सकें। समिति आगे इच्छा व्यक्त करती है कि कारीगरों की आवश्यकता और प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर, नए क्षेत्रीय कार्यालयों /सेवा केंद्रों की स्थापना की जाए ताकि कारीगरों को नामांकन और पहचान कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।

तीन. <u>समर्थ - वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण हेतु योजना (एससीबीटीएस)</u>

<u>(सिफारिश पैरा सं. 25)</u>

14. समिति ने अपने पिछले प्रतिवेदन में नोट किया था कि 2021-22 के दौरान, वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण हेतु योजना (एससीबीटीएस) के लिए बजट अनुमान 100 करोड़

रुपये था जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर 90 करोड़ रुपये कर दिया गया और 22.02.2022 तक वास्तविक व्यय 38.04 करोड़ रुपये था। इसके अलावा, 2022-23 के लिए बजट अनुमान के रूप में 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। वास्तविक लक्ष्यों के संबंध में, समिति ने नोट किया कि मंत्रालय ने विभिन्न राज्य अभिकरणों, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग क्षेत्रों और एसोसिएशनों के माध्यम से 3.46 लाख अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया था। हालांकि, 2021-22 के दौरान, केवल 1,79,923 लाभार्थियों ने प्रशिक्षण के लिए नामांकन कराया था , जिनमें से 60,354 लाभार्थियों ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया था, जबकि 29,805 लाभार्थियों को प्लेसमेंट प्रदान किया गया था। यह देखते हुए कि 2021-22 की पहली तिमाही के दौरान कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर लक्ष्यों में कमी का कारण थी और यह देखते हुए कि कोविड-19 महामारी का विनाशकारी प्रभाव काफी हद तक कम हो गया है, समिति ने मंत्रालय से वस्त्र क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए लक्षित कौशल/उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अधिक संख्या शुरू करके धन के अधिकतम उपयोग के लिए अपने प्रयासों को तेज करने के लिए कहा था ताकि वस्त्र क्षेत्र में समग्र क्षमता निर्माण का लक्ष्य प्रभावी रूप से प्राप्त किया जा सके।

15. वस्त्र मंत्रालय ने समिति को प्रस्तुत अपने की गई कार्रवाई टिप्पण में निम्नवत बताया है:-

"वस्त्र उद्योग की कुशल श्रमशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए योजना के उद्देश्य को सुनिश्चित करने हेतु, समर्थ को एक मांग आधारित प्लेसमेंट उन्मुख योजना के रूप में डिजाइन किया गया है। फिजिकल क्लासेस के संचालन पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण महामारी की पहली और दूसरी लहर के दौरान योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था। मंत्रालय ने विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर सभी हितधारकों के साथ उद्योग के सामने आने वाले मुद्दों की पहचान करने, कार्यान्वयन साझेदारों के प्रदर्शन की समीक्षा करने और उद्योग द्वारा कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता का विश्लेषण करने के लिए लगातार विचार-विमर्श किया है। कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर नॉन-परफॉर्मिंग/अनिच्छुक कार्यान्वयन भागीदारों को आवंटित लक्ष्य को युक्तिसंगत/रद्द करने के अलावा, 18 कार्यान्वयन भागीदारों को 51,519 लाभार्थियों के अतिरिक्त प्रशिक्षण का लक्ष्य आवंटित किया गया था। इसके अलावा, कार्यान्वयन

भागीदारों के पैनल को व्यापक आधार देने के लिए, वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही के दौरान वस्त्र उद्योग/उद्योग संघों से पैनल बनाए जाने और लक्ष्य आवंटन के प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। प्राप्त प्रस्तावों में से 73,810 लाभार्थियों के कुल प्रशिक्षण लक्ष्य के साथ 43 नए कार्यान्वयन भागीदारों को पैनलबद्ध किया गया है और आवंटन किया गया है। इसके साथ, योजना के तहत 162 प्रशिक्षण परियोजनाओं में से प्रशिक्षण लक्ष्य का कुल आवंटन 4.25 लाख लाभार्थियों का है, जिनमें से 77,425 लाभार्थियों ने अब तक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और 20,401 प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा, केंद्र/राज्य सरकार की 10 अभिकरणों से प्राप्त लक्ष्य आवंटन का प्रस्ताव भी विभिन्न चरणों में प्रगति पर है। अब, महामारी की स्थिति में सुधार के साथ, योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम गति प्राप्त कर रहे हैं और यह आशा की जाती है कि वर्ष 2022-23 के लिए प्रशिक्षण हेतु निर्धारित वास्तविक लक्ष्य को चालू वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित बजट का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है।"

16. समर्थ योजना के तहत 2022-23 के दौरान निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों को इष्टतम ढंग से प्राप्त करने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों की सराहना करते हुए, समिति ने मंत्रालय से केंद्रीय/राज्य सरकार के 10 अभिकरणों से प्राप्त लक्ष्य आवंटन के प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में तेजी लाने का आग्रह किया ताकि उन्हें प्रशिक्षण लक्ष्यों का समय पर आवंटन सुनिश्चित किया जा सके। समिति ने मंत्रालय से पहले से शुरू किए गए उपायों को तेज करने का भी आह्वान किया ताकि वस्त्र उद्योग की कुशल जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिक अभ्यर्थियों को नामांकित, प्रशिक्षित और नियोजित किया जा सके।

चार. <u>निर्यात संवर्धन</u>

<u>(सिफारिश पैरा सं. 27)</u>

17. निर्यात को बढ़ाने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कई कदमों जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पीटीए ऐक्रेलिक फाइबर पर पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) को समाप्त करना, विस्कोस स्टेपल फाइबर को बढ़ावा देना और वस्त्र एवं परिधान (टी एंड ए)

उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए उपायों की सराहना करते हुए, समिति ने अपने पिछले प्रतिवेदन में मंत्रालय से निर्यातकों/व्यापारियों को समुचित समय के भीतर अपने ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास करने का भी आग्रह किया था ताकि वे भारतीय टी एंड ए निर्यात का काफी हद तक लाभ उठाने के लिए आरओएससीटीएल और आरओडीटीईपी स्कीमों के तहत लाभ प्राप्त कर सकें।

18. **वस्त्र मंत्रालय ने समिति को प्रस्तुत अपने की गई कार्रवाई टिप्पण में निम्नवत बताया है**:-

> **"समिति ने पहले ही कोविड से उत्पन्न बाधाओं और कठिन समय से उबरने के लिए वस्त्र क्षेत्र को समर्थन देने के मंत्रालय के प्रयासों के बारे में अवगत कराया है। जहां तक आरओएससीटीएल/आरओडीटीईपी के तहत स्क्रिपों के उपयोग का संबंध है, निर्यातक राजस्व विभाग द्वारा लगाई गई शर्त को हटाने की मांग कर रहे हैं, जिसमें निर्यात आय की वसूली न होने की स्थिति में आरओएससीटीएल स्क्रिप के आयातकों को वसूली के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। इसके परिणामस्वरूप आयातकों के बीच स्क्रिप अनाकर्षक हो गया है। इस मंत्रालय ने दिनांक 27.04.2022 के अ.शा. पत्र के माध्यम से राजस्व विभाग से सिफारिश की है कि आरओएससीटीएल स्क्रिप निर्यात आय की वसूली के बाद ही जारी किया जाए जिससे निर्यात नहीं होने की चिंता का निवारण होगा।"**

19. समिति ने नोट किया है कि निर्यात की प्राप्ति न होने की चिंताओं को दूर करने की दृष्टि से, मंत्रालय ने राजस्व विभाग के साथ इस मामले को उठाया है और उन्हें निर्यात आय की वसूली के बाद ही राज्य और केंद्रीय करों और लेवी (आरओएससीटीएल) स्क्रिपों की छूट जारी करने की सिफारिश की है। समिति चाहती है कि इस मामले को राजस्व विभाग के साथ जारी रखा जाए ताकि निर्यातकों की चिंताओं का प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सके और भारतीय वस्त्र और परिधान (टी एंड ए) निर्यात में वृद्धि की जा सके।

पांच. <u>पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पीएम-मित्र) पार्क</u>

(सिफारिश पैरा सं. 29)

20. अपने पिछले प्रतिवेदन में, समिति ने नोट किया था कि सात एमआईटीआरए (मित्र) पार्कों को एसपीवी द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल अर्थात केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त उद्यम के माध्यम से लागू किया गया था और 9 राज्यों ने पीएम-मित्र पार्कों की स्थापना के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यह देखते हुए कि इन पार्कों का लक्ष्य 10,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना, 1.5 लाख से 1.8 लाख लोगों को रोजगार देना और अवसंरचनात्मक, कौशल अनुसंधान प्रयोगशालाओं, प्रशिक्षण संस्थानों आदि की स्थापना करना है, समिति ने मंत्रालय से इन पार्कों को मंजूरी देने के लिए सभी प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को तेज करने और उनके निर्बाध कार्यान्वयन के लिए एक प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा था ताकि लक्षित निवेश आकर्षित हों और एक निश्चित समय सीमा के भीतर अनुमानित रोजगार उत्पन्न हो।

21. **वस्त्र मंत्रालय ने समिति को प्रस्तुत अपने की गई कार्रवाई टिप्पण में निम्नवत बताया है**:-

> **"अधिसूचना और परिचालन दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी राज्य सरकारों से 15.03.2022 तक प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) जमा करने का अनुरोध किया गया था। इसके प्रत्युत्तर में 13 राज्य सरकारों से 18 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। योजना की रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए 04.05.2022 को पीएम मित्र पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें 13 राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था।**
>
> **पीएम मित्र के तहत परियोजना अनुमोदन समिति की पहली बैठक 24.05.2022 को आयोजित की गई थी। पीएसी ने राज्य द्वारा प्रस्तुत किए गए पीपीआर की जांच की है। इसके अलावा, राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया था। राज्य सरकार से स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर, पीएम मित्र स्थल का चयन चुनौती पद्धति से किया जाएगा।"**

22. समिति यह नोट कर चिंतित है कि केवल 13 राज्य सरकारों ने प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) प्रस्तुत की है जबकि शेष राज्य सरकारों से पीपीआर अभी

प्राप्त नहीं हुए हैं। समिति ने यह भी पाया कि परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा पीपीआर की जांच के बाद राज्य सरकारों से स्पष्टीकरण मांगे गए हैं और उनकी प्राप्ति के बाद पीएम मित्र का चयन किया जाएगा। इन पार्कों द्वारा लक्षित निवेशों और संभावित रोजगार सृजन पर विचार करते हुए, समिति मंत्रालय से उन राज्य सरकारों के साथ इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाने का आग्रह करती है जिन्होंने अभी तक अपने पीपीआर प्रस्तुत नहीं किए हैं और जिनसे स्पष्टीकरण भी मांगे गए हैं ताकि योजना समयबद्ध तरीके से प्रभावी रूप से फलीभूत हो सके।

नई दिल्ली;
19 दिसंबर, 2022
28 अग्रहायण, 1944 (शक)

भर्तृहरि महताब
सभापति
श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति

परिशिष्ट -II

(प्राक्कथन का पैरा संख्या 3 देखिए)

श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति की इकतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण

		कुल	प्रतिशत
I.	सिफारिशों की कुल संख्या	30	
II.	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:- (सिफारिश पैरा सं 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28)	24	80.00%
III.	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती:- (सिफारिश पैरा सं 30)	01	3.33%
IV	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है:- (सिफारिश पैरा सं. 2, 4 और 29)	03	10.00%
V	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैं- (सिफारिश पैरा सं. 10 और 14)	02	6.67 %
			100%